भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4085

25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित बरेली के किसान

4085. श्री छत्रपाल सिंह गंगवार:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बरेली के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से कितना लाभ हुआ है;

(ख) क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) बरेली में कृषि उत्पादों के लिए नई मंडी अथवा गोदाम स्थापित करने के लिए सरकार की प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक नामांकित किसान आवेदनों की संख्या तथा किसानों को भुगतान किए गए दावों का विवरण नीचे दिया गया है:

जिला	किसान आवेदन					भुगतान किये गये दावे (रूपये करोड़ में)				
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
बरेली	37,915	19,538	22,807	23,907	23,427	6.06	0.03	2.18	2.72	0.43

स्रोत - एनसीआईपी

दिनांक 05.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) के अंतर्गत बरेली जिले में 5,87,764 लाभार्थियों को 1,672.98 करोड़ रुपये के राशि का भुगतान किया जा चुका है।

(ख): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) वर्ष 2015-16 से देश में प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) की केन्द्र प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है। वर्तमान में, यह योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अब तक बरेली जिले में 3973.17 हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कवर किया गया है।

इसके अलावा, सॉइल हेल्थ एंड फर्टीलिटी स्कीम के तहत वर्ष 2014-15 से अब तक 24.84 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड (एसएचसी) बनाए गए हैं। इस वर्ष के दौरान, देश भर में 71.98 लाख एसएचसी बनाए गए हैं, जिनमें से 15,000 सॉइल हेल्थ कार्ड बरेली जिले में बनाए गए हैं।

(ग): निजी उद्यमियों, सहकारी समितियों और राज्य एजेंसियों द्वारा प्रोत्साहित वैज्ञानिक भंडारण (**गोदाम**) और अन्य एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की **स्थापना** में सहायता के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार अपने संबद्ध कार्यालय विपणन और निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) के माध्यम से पूरे देश में (**उत्तर प्रदेश के बरेली जिले सहित**) एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए एकीकृत योजना (आईएसएएम) की उप-योजना "एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई)" को कार्यान्वित कर रही है। इस योजना को दिनांक 31.03.2026 तक बढ़ा दिया गया है।

एएमआई एक पूंजी निवेश, ओपन एंडेड, मांग आधारित और ऋण से जुड़ी योजना है, जिसमें लाभार्थी की श्रेणी के आधार पर 25% और 33.33% की बैक एंडेड सब्सिडी उपलब्ध है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के सृजन के लिए व्यक्तियों, किसानों, किसानों/उत्पादकों के समूह, कृषि उद्यमियों, पंजीकृत कृषक उत्पाद संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और राज्य एजेंसियों आदि को सहायता उपलब्ध है।

इसके अलावा, एएमआई के अंतर्गत सभी राज्य एजेंसियों (उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की राज्य एजेंसियों सहित) के लिए नई मंडियों की स्थापना के लिए अपने निजी फंड का निवेश करने का प्रावधान है।

*****